



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 / 01 श्रावण, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171 004, 22 जुलाई, 2024

संख्या: वि०स०-विधायन-शपथ/1-2/2023.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निम्न सदस्यों ने सभा में अपने स्थान ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा इस 85—राजपत्र/2024-23-07-2024 (2447)

प्रयोजन हेतु आदेश संख्या: वि०स०/शपथ-विधायन-1-2/2023, दिनांक 18 जुलाई, 2024 द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया के समक्ष 22 जुलाई, 2024 को शपथ ग्रहण की :-

1.	श्रीमती कमलेश ठाकुर	10-देहरा
2.	श्री आशीष शर्मा	38-हमीरपुर
3.	श्री हरदीप सिंह बावा	51-नालागढ़

हस्ताक्षरित / -

(यशपाल शर्मा),  
सचिव,  
हि०प्र० विधान सभा।

## HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION

Shimla the 22 July, 2024

No. VS-Legn.-Oath/1-2/2023.— In pursuance of Article 188 of the Constitution of India the following elected Members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, before taking their seats, make and subscribe oath on the 22nd July, 2024 before the Speaker, Shri Kuldeep Singh Pathania, appointed in this behalf by the Governor *vide* order No. V.S. Leg. Oath/1-2/2023, dated 18th July, 2024.

1.	Smt. Kamlesh Thakur	10-Dehra
2.	Sh. Ashish Sharma	38-Hamirpur
3.	Sh. Hardeep Singh Bawa	51-Nalagarh

Sd/-

(YASH PAUL SHARMA),  
Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 2024

संख्या: 03/2024-राज्य कर

सं० ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल

प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 30/2023-राज्य कर, दिनांक 18 सितंबर, 2023, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-5/2023-लूज दिनांक 30 सितंबर, 2023, द्वारा प्रकाशित की गई थी, को ऐसे विखंडन के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, विखंडित करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2024 से लागू समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
(भरत खेड़ा),  
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024, dated 29-01-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

### STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Shimla-2, the 29th January, 2024

Notification No. 03/2024-State Tax

**No. EXN-F(10)-1/2024.**—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to rescind the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 30/2023-State Tax, dated the 18th September, 2023, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-5/2023, dated the 30th September, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 1st day of January, 2024.

By order,  
Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E).

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या: 04/2024-राज्य कर

शिमला-2, 29 जनवरी, 2024

**सं० ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.**—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, माल जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची

के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट यथास्थिति टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय, के अधीन आता है, के विनिर्माण में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं अर्थात्:—

1. पैकिंग मशीनों के ब्यौरे (1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण में लगे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिसूचना के प्रभावी होने के तीस दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे ।
  - (2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण का आशय रखता है, और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पंद्रह दिवस के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में पैकेजों को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जाने वाली पैकिंग मशीनों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।
  - (3) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान पर संस्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, ऐसे संस्थापन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 6 के भाग (ख) में प्रस्तुत किए जाएंगे ।
  - (4) यदि मशीनों की घोषित क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना है, तो उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 6क में प्रस्तुत किया जाएगा ।
  - (5) प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जनित की जाएगी, जिसके ब्यौरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए हैं ।
  - (6) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या अपनी मशीनों की उत्पादन क्षमता किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को प्रस्तुत या घोषित की है, तो ऐसी घोषणा दाखिल करने या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिवस के भीतर उसे उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम । की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को अपनी विनिर्माण इकाई उसकी मशीनों की उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित की है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा यथास्थिति, विनिर्माण इकाई या मशीन के संबंध में ऐसा नवीनतम प्रमाण पत्र, उक्त अधिसूचना के जारी होने के तीन दिवस के भीतर, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 7 में प्रस्तुत किया जाएगा ।

- (7) कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से निपटान की गई किसी भी विद्यमान भरण और पैकिंग मशीन के ब्यौरे, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे निपटान के सामान्य चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 की सारणी 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाएंगे ।
2. **विशेष मासिक विवरण.**— रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मास के लिए सामान्य पोर्टल पर, ऐसे मास के आगामी मास के दसवें दिन या उससे पहले प्ररूप जीएसटी एसआरएम-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में विशेष विवरण प्रस्तुत करेगा ।

3. **चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र.**— (1) करदाता को इस अधिसूचना के पैरा 1 के अनुसार, प्ररूप जीएसटी एसआरएम— I की सारणी 6 में, उसके द्वारा घोषित मशीनों के संबंध में चार्टर्ड इंजीनियर प्ररूप जीएसटी एसआरएम—III का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
- (2) यदि किसी मशीन के ब्यौरे तत्पश्चात् संशोधित किए जाते हैं, तो ऐसी मशीन के संबंध में नया प्रमाणपत्र अपलोड किया जाएगा।
4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगी

## अनुसूची

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष /टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान—मसाला
2.	2401	ब्रांड नाम वाला—अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
3.	2401	ब्रांड नाम वाला—अविनिर्मित तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
4.	2401 30 00	ब्रांड नाम वाला—अवशिष्ट तम्बाकू
5.	2403 11 10	ब्रांड नाम वाला—'हुक्का' या 'गुडाकू'
6.	2403 11 10	'हुक्का' या "हुक्का" तम्बाकू अथवा 'गुडाकू' के रूप में ज्ञात, धूम्रपान के लिए उपयोग किया जाने वाला तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य जल पाइप धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान तम्बाकू
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाला अन्य धूम्रपान तम्बाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान तम्बाकू जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं
11.	2403 91 00	ब्रांड नाम वाला "समरूप" या "पुनर्गठित" तम्बाकू
12.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तम्बाकू (चूने की नली के साथ)
14.	2403 99 10	छनी हुई खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तम्बाकू से युक्त निर्मिति
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तम्बाकू
17.	2403 99 40	नसवार
18.	2403 99 50	नसवार युक्त निर्मिति
19.	2403 99 60	ब्रांड नाम वाले तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व
20.	2403 99 60	तम्बाकू के निष्कर्ष और सत्व जिसका कोई ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तम्बाकू कर्तन
22.	2403 99 90	तम्बाकू युक्त पान मसाला 'गुटखा'
23.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न ब्रांड नाम वाले सभी माल
24.	2403 99 90	तम्बाकू 'गुटखा' युक्त पान मसाले से भिन्न बिना ब्रांड नाम वाले सभी माल

**स्पष्टीकरण.**—(1) इस अनुसूची में,— "टैरिफ मद", "शीर्षक" "उपशीर्षक" और "अध्याय" से क्रमशः, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, कोई टैरिफ मद, शीर्षक, उपशीर्षक और अध्याय अभिप्रेत है।

(2) उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन नियम, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की पहली धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी है, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे।



6क. मशीनों की संशोधनों के ब्यौरे

क्र.सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	माडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	कय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन का प्रति घंटा विद्युत उपभोग क्षमता (केडल्यूएच)	मशीन की रजिस्ट्रीकरण (सिस्टम द्वारा स्वसृजित की जाए)	कार्यशील प्रास्थिति (हां/ नहीं)	सूचीबद्ध किसी मापदंड में परिवर्तन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (9x11)	(13)	(14)	(15)

7. अन्य विभागों को प्रस्तुत की गई मशीनों की सूचना के ब्यौरे

क्र. सं.	सूचना की तारीख	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा के ब्यौरे (पीडीएफ के रूप में अपलोड किए जाएं)
(1)	(2)	(3)	(4)

8. पैकिंग मशीनों का निपटान

क्र.सं.	मशीन की रजिस्ट्रीकरण सं.	मेक	माडल सं.	विनिर्माता का नाम	मशीन सं.	कय की तारीख	स्थापना के स्थान का पता	ट्रेकों की सं.	पैकेजों का भार जो मशीनों पर पैक किया जा सकता हो (ग्रा. में)	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता (पैकेजों की सं. जो किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु पैक की जा सकती हो)	पैक किए जाने वाले किसी विशिष्ट भार के पैकेज हेतु मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	निपटान की तारीख	निपटान का कारण (प्रदाय/ निराकृत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (9x11)	(13)	(14)

9. उत्पाद ब्यौरे

क्र. सं.	ब्रांड नाम	पैकिंग प्रकार	प्रत्येक पेकेज में ग्रा. में मात्रा	एचएसएन	उत्पाद का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

**10. अपलोड किए गए दस्तावेजों के ब्यौरे**

1. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र
2. अन्य विभागों को दी गई सूचना
3. करदाता द्वारा उल्लिखित किया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज

**11. सत्यापन**

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर,

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति

स्थान:

तारीख:

जीएसटी एसआरएम-1 के अनुदेश

1. प्रयोग की गई निबंधन:

- (i) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्यांक
- (ii) एचएसएन: हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर
- (iii) एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य
- (iv) केडब्ल्यूएच: प्रतिघंटा किलो वॉट
- (v) पैकिंग टाइप: पाऊच, जिप्पर आदि

2. सारणी 6: मौजूदा मशीनों का विवरण भाग-क में प्रदान किया जाना चाहिए और उसके बाद जोड़ी गई नई मशीनों का विवरण भाग-ख में प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ-वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:



स्तंभ सं.	विवरण
(2)	मशीन का निर्माण, यदि उपलब्ध हो, यह प्रदान किया जाना चाहिए कि यह अर्ध-स्वचालित है या स्वचालित।
(3)	मशीन की मॉडल संख्या का उल्लेख करें, यदि उपलब्ध हो
(4)	प्रदान की जाने वाली मशीन के निर्माता का नाम
(5)	मशीन नंबर प्रदान किया जाना है
(6)	आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए चालान या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज पर उल्लिखित क्रय की तारीख प्रदान की जानी है।
(7)	उस स्थान का पता जहां मशीन स्थापित की गई है, उसे प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में विनिर्माता द्वारा प्रदान किए गए कारबार के स्थानों के विवरण के आधार पर उसके लिए प्रदान किए गए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
(8)	प्रदान की जाने वाली मशीन से जुड़े ट्रैक की संख्या
(9)	पैकेज का वजन जिसे मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है (ग्राम में) यहां घोषित किया जाना है। रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक मशीन के लिए उसी की कई प्रविष्टियां दर्ज कर सकता है।
(10)	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता उन पैकेजों की संख्या के संदर्भ में प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें स्तंभ 9 में घोषित पैकेज के विशेष वजन के लिए प्रति घंटे उस ट्रैक पर मशीन द्वारा पैक किया जा सकता है।
(11)	पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता जिसे पैक किया जा सकता है, की गणना पध्दति द्वारा स्तंभ 8,9 और 10 में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।
(12)	केडब्ल्यूएच में प्रदान की जाने वाली मशीन की बिजली खपत क्षमता
(13)	विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या पररूप फाइल करने के पश्चात् मशीन को पद्धति द्वारा जनरेट किया जाएगा। विशिष्ट संख्या की संरचना जीएसटीआईएन के पश्चात् तीन अंक होंगे।
(14)	क्या मशीन काम कर रही है या स्टैंडबाय है। तदनुसार, ड्रॉप डाउन मेनू में हो या नहीं का चयन किया जाएगा।

3. सारणी 6क: सारणी 6 में पहले से प्रदान की गई या उसके पश्चात् संशोधित मशीन के विवरण में संशोधन प्रदान किया जाना है। सारणी 6 के स्तंभ 12 में पद्धति द्वारा सौंपी गई मशीन की रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करने के पश्चात्, मशीन का अन्य विवरण ऑटो-पॉपुलेट होगा। जहां भी आवश्यक हो, इसे संपादित किया जा सकता है। चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र उन मशीनों के लिए भी अपलोड किया जाएगा जिनके विवरण में संशोधन किया गया है यदि पहले अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में दिए गए विवरण में कोई बदलाव होता है और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए। मशीन के किसी भी विवरण में ऐसा कोई भी परिवर्तन, जिसमें उसकी कार्य स्थिति शामिल है, जिसे संशोधित करने की आवश्यकता है, को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए उक्त परिवर्तन के चौबीस घंटे के भीतर सूचित किया जाना है।

4. सारणी 7: अन्य विभाग को प्रस्तुत मशीनों की सूचना का विवरण प्रदान किया जाना है। प्रविष्टियां करने के बाद दस्तावेजों को पीडीएफ रूपविधान में अपलोड किया जाना चाहिए और अपलोड किए गए दस्तावेजों का विवरण सारणी 10 में दिया जाना चाहिए।

5. सारणी 8: निपटाई गई (आपूर्ति की गई/अनुपयोगी) मशीनों का विवरण प्रदान किया जाएगा। प01 द्वारा मशीन को सौंपे गए रजिस्ट्रीकरण नंबर को दर्ज करने के पश्चात्, अन्य विवरण ऑटो-पॉपुलेट होंगे। निपटान की तारीख और इसके लिए कारण प्रदान किया जाना है।

6. सारणी 9: इस सारणी में प्रदान किए जाने वाले ब्रांडों का विवरण, पैकिंग प्रकार, एचएसएन और विनिर्मित उत्पादों का विवरण। यदि इस तालिका में पहले से दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो विवरण को तदनुसार संशोधित करने की आवश्यकता है।



**10. बिजली खपत**

क्रम संख्या	मीटर/ डीजी सेट सं.	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (कि.वा.घं.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(क) विद्युत मीटर रीडिंग</b>				
<b>(ख) डीजी सेट मीटर रीडिंग</b>				
<b>(ग) सौर ऊर्जा जिसमें बैटरी है</b>				
<b>(घ) अन्य</b>				

**11. ग्रिड एकीकृत सौर का विवरण**

क्रम संख्या	महीने के पहले दिन प्रारंभिक मीटर रीडिंग	महीने के अंतिम दिन को अंतिम मीटर रीडिंग	उत्पादन/निर्यात/आयात/ खपत (कि.वा.घं.)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>(क) सौर मीटर रीडिंग (उत्पादन)</b>			
<b>(ख) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का आयात)</b>			
<b>(ग) बिजली मीटर रीडिंग (विद्युत का निर्यात)</b>			
<b>(घ) शुद्ध [क+ख-ग]</b>			

**12. सत्यापन**

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और वहां से कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर,

नाम,

पदनाम/प्रास्थिति।

स्थान:

तारीख:

जीएसटी एसआरएम-II प्ररूप का निर्देश

1. प्रयुक्त पद :

- (i) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्यांक
- (ii) एचएसएन: नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
- (iii) एमआरपी: अधिकतम खुदरा मूल्य
- (iv) केडब्ल्यूएच: किलो वाॅट घंटा

- (v) डीजी सेट: विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल जनरेटर सेट  
(vi) पैकिंग का प्रकार: पाउच, जिप्पर आदि

2. सारणी 8: अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट का ब्यौरा प्रदान करना होगा। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ बार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं.	वर्णन
(1)	2
(2)	विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट के न्यूनतम 4 अंकों के स्तर पर एचएसएन रिपोर्ट किया जाना है।
(3)	एचएसएन के अनुसार माल का विवरण प्रदान किया जाना है
(4)	ड्रॉप डाउन से चुने जाने वाले माल के मापन की इकाई
(5)	मास के आरंभ में उपलब्ध मात्रा को पहली बार रिपोर्ट किया जाना है। अगले मास से, जानकारी पूर्ववर्ती मास के समापन शेष से ऑटो-पॉपुलेट हो जाएगी।
(6)	माह के दौरान उपाप्त की गई मात्रा रिपोर्ट की जानी है
(7)	उपाप्त की गई मात्रा की मात्रा रिपोर्ट की जानी है
(8)	खपत की गई मात्रा की सूचना देनी होगी
(9)	समापन शेष राशि स्तंभ 5 और 6 में रिपोर्ट की गई मात्रा का योग होना चाहिए जो स्तंभ 8 में रिपोर्ट की गई मात्रा से घटाई जाती है (56.8)
(10)	उत्पन्न अपशिष्ट, यदि कोई हो, की सूचना दी जाए

3. स्तंभ 9: विनिर्मित उत्पादों का ब्यौरा ब्रांड वार, मशीन वार और पैकेज वार रिपोर्ट किया जाना है। प्रदान की जाने वाली जानकारी का स्तंभ-वार विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

स्तंभ सं०	वर्णन
1	2
1.	प्ररूप जीएसटी एसआरएम1 की सारणी 9 में रिपोर्ट किया गया ब्रांड, कर अवधि के दौरान उत्पादन की रिपोर्टिंग के लिए ड्रॉप डाउन से चुना जाना है।
2.	प्रणाली द्वारा समनुदेशित की गई मशीन की रजिस्ट्री संख्या रिपोर्ट की जाएगी
3.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित पैकिंग प्रकार अर्थात् पाउच, जिपर आदि रिपोर्ट किया जाना है
4.	पैकिंग का विवरण (प्रत्येक पैक में ग्राम में मात्रा) रिपोर्ट किया जाना है
5.	कर अवधि के दौरान विनिर्मित वस्तुओं की एचएसएन, 8 अंकों के स्तर पर, रिपोर्ट की जानी है
6.	रिपोर्ट की जाने वाली कर अवधि के दौरान विनिर्मित उत्पाद का विवरण
7.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों की संख्या रिपोर्ट की जानी है
8.	अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) रुपये प्रति की रिपोर्ट की जानी है
9.	कर अवधि के दौरान पैक किए गए पैकेजों के एमआरपी में कुल मूल्य की गणना प्रणाली द्वारा स्तंभ 6 और 7 में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी।

4. सारणी 10: मास के दौरान विद्युत खपत को रिपोर्ट किया जाना है। मास के आरंभ में विद्युत मीटर में आरंभिक रीडिंग प्रथम मास के लिए रिपोर्ट की जानी है। अगले मास से, पूर्ववर्ती मास के अंत में रिपोर्ट की गई अंतिम रीडिंग मास की प्रारंभिक रीडिंग बन जाएगी। उपयोग किए गए डीजी सेट की रीडिंग, यदि कोई हो, पृथक् रूप में रिपोर्ट की जानी चाहिए। एक में अधिक विद्युत मीटर या डीजी सेट की रीडिंग को रिपोर्ट करने के लिए, पृथक् पंक्तियां उपयोग की जाएं। इसके अलावा, मशीनों के लिए पृथक् मीटर उपलब्ध न होने की स्थिति में विनिर्माण इकाई के मुख्य मीटर की विद्युत मीटर रीडिंग भी दी जानी है। भाग-ग में उल्लिखित सौर ऊर्जा केवल बैटरी ग्रिंड ने एकीकृत नहीं की गई बैटरियों के सृजित ऊर्जा माध्यम के संबंध में है।

5. सारणी 11 : यहां, ग्रिड के साथ एकीकृत सौर ऊर्जा से उपभोग की गई विद्युत के ब्यौरे रिपोर्ट किए जाने हैं।

प्ररूप जीएसटी एसआरएम -///

चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र

1. जीएसटीआईएन -

2. उन मशीनों के ब्यौरे, जिनके लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है-

क्रम सं.	मेक, यदि उपलब्ध हो	मॉडल संख्या, यदि उपलब्ध हो	विनिर्माता का नाम	मशीन संख्या	प्रणाली द्वारा क्रम समनुदेशित रजिस्ट्रीकरण संख्या (उन मामलों में जहां सारणी 6क में मशीनों की विनिर्दिष्टि में संशोधन किया जाना है)	क्रय करने की तारीख, यदि उपलब्ध हो	ट्रेको संख्या	पैकेजों का भार जिसे मशीन पर पैक किया जा सकता है (ग्राम में)	प्रत्येक ट्रेक की पैकिंग क्षमता (पैकेज के विशिष्ट वजन के लिए पैक किए गए पैकेजों की संख्या)	पैक किए जाने वाले पैकेज के विनिर्दिष्ट वजन के लिए मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन की प्रति घंटा विद्युत खपत क्षमता (कि.वा.घ.)	टिप्पणी, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मशीनों की संख्या का परीक्षण कर लिया है और उपरोक्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उनमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम

रजिस्ट्रीकरण संख्या

तारीख

पता

मोबाइल सं०

स्थान:

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -

(भरत खेड़ा),

प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024 dated 29-01-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 04/2024-State Tax

Shimla-2, the 29th January, 2024

**No. EXN-F(10)-1/2024.**—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the

Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to notify the following special procedure to be followed by a registered person engaged in manufacturing of the goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the Schedule appended to this notification, and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, namely:—

1. **Details of Packing Machines.**— (1) All the registered persons engaged in manufacturing of the goods mentioned in Schedule to this notification shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of packages in **FORM GST SRM-I**, electronically on the common portal, within thirty days of coming into effect of this notification.
2. Any person intending to manufacture goods as mentioned in the Schedule to this notification, and who has been granted registration after the issuance of this notification, shall furnish the details of packing machines being used for filling and packing of packages in **FORM GST SRM-I** on the common portal, within fifteen days of grant of such registration.
3. The details of any additional filling and packing machine being installed at the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such installation in **PART (B)** of Table 6 of **FORM GST SRM-I**.
4. If any change is to be made in the declared capacity of the machines, the same shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such change in **Table 6A** of **FORM GST SRM-I**.
5. Upon furnishing of such details in **FORM GST SRM-I**, a unique registration number shall be generated for each machine, the details of which have been furnished by the registered person, on the common portal.
6. In case, the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organisation, the same shall be furnished by the said registered person in **Table 7** of **FORM GST SRM-I** on the common portal, within fifteen days of filing such declaration or submission:  
  
Provided that where the said registered person has submitted or declared the production capacity of his manufacturing unit or his machines, to any other government department or any other agency or organisation, before the issuance of this notification, the latest such certificate in respect of the manufacturing unit or the machines, as the case may be, shall be furnished by the said registered person in **Table -7** of **FORM GST SRM-I** on the common portal, within thirty days of issuance of this notification.
7. The details of any existing filling and packing machine disposed of from the registered place of business shall be furnished, electronically on the common portal, by the said registered person within twenty four hours of such disposal in **Table 8** of **FORM GST SRM-I**.
2. **Special Monthly Statement.**— The registered person shall submit a special statement for each month in **FORM GSTSRM-II**, electronically on the common portal, on or before the tenth day of the month succeeding such month.
3. **Certificate of Chartered Engineer.**—(1) The taxpayer shall upload a certificate of Chartered Engineer **FORM GST SRM-III** in respect of machines declared by him, as per para 1 of this notification, in **Table 6** of **FORM GST SRM-I**.

(2) If details of any machine are amended subsequently, then fresh certificate in respect of such machine shall be uploaded.

4. This notification shall come into effect from 1st day of April, 2024.

#### Schedule

S. No.	Chapter /Heading /Sub-heading /Tariff item.	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	Pan-masala
2.	2401	Unmanufactured tobacco (without lime tube)–bearing a brand name
3.	2401	Unmanufactured tobacco (with lime tube)–bearing a brand name
4.	2401 30 00	Tobacco refuse, bearing a brand name
5.	2403 11 10	‘Hookah’ or ‘gudaku’ tobacco bearing a brand name
6.	2403 11 10	tobacco used for smoking ‘hookah’ or known as ‘hookah’ tobacco or ‘gudaku’ not bearing a brand name
7.	2403 11 90	Other water pipe smoking tobacco not bearing a brand name
8.	2403 19 10	Smoking mixtures for pipes and cigarettes
9.	2403 19 90	Other smoking tobacco bearing a brand name
10.	2403 19 90	Other smoking tobacco not bearing a brand name
11.	2403 91 00	“Homogenised” or “reconstituted” tobacco, bearing a brand name
12.	2403 99 10	Chewing tobacco (without lime tube)
13.	2403 99 10	Chewing tobacco (with lime tube)
14.	2403 99 10	Filter khaini
15.	2403 99 20	Preparations containing chewing tobacco
16.	2403 99 30	Jarda scented tobacco
17.	2403 99 40	Snuff
18.	2403 99 50	Preparations containing snuff
19.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence bearing a brand name
20.	2403 99 60	Tobacco extracts and essence not bearing a brand Name
21.	2403 99 70	Cut tobacco
22.	2403 99 90	Pan masala containing tobacco ‘Gutkha’
23.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco ‘gutkha’, bearing a brand name
24.	2403 99 90	All goods, other than pan masala containing tobacco ‘gutkha’, not bearing a brand name

*Explanation.*–(1) In this Schedule, “tariff item”, “heading”, “sub-heading” and “Chapter” shall mean respectively, a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

2. The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the section and chapter notes and the General Explanatory notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

3. For the purposes of this notification, the phrase “brand name” means brand name or trade name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label,





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 7. Details of the intimation of the machines furnished to other departments.

Sr. No.	Date of intimation.	Name of Govt. department / any other agency or organisation	Details of declaration (to be uploaded as pdf)
(1)	(2)	(3)	(4)

### 8. Disposal of the packing machines.

Sr. No.	Registration no. of the machine	Make	Model no	Name of manufacturer	Machine No.	Date of purchase.	Address of place of installation	No. of tracks	Weight of packages which can be packed on the machine (in grams)	Packing capacity of each track (No. of packages which can be packed for a particular weight of package)	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed	Date of disposal.	Reason of disposal (Supplied/ Condemned).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) (9x11)	(13)	(14)

### 9. Product details

Sr. No.	Brand name	Packing type	Quantity in grams in each package	HSN	Description of the product
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

### 10. Details of the Documents uploaded.

1.	Certificate of chartered engineer.
2.	Information given to other departments
3.	Any other document to be mentioned by taxpayer.

### 11. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory,

Place :

Name,

Date :

Designation / Status .

**Instructions to Form GST SRM-1****1. Terms used:**

- (i) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- (ii) HSN: Harmonized System of Nomenclature
- (iii) MRP: Maximum Retail Price
- (iv) KWH: Kilo Watt Hour
- (v) Packing type: Pouch, Zipper etc.

**2. Table 6:** Details of existing machines should be provided in Part-A and details of new machines added thereafter have to be provided in Part-B. Column wise details of the information to be provided is given in the table below:—

Column no.	Description
(2)	Make of the machine, if available should be provided as to whether it is semi-automatic or automatic .
(3)	Mention model number of the machine, if available
(4)	Name of the manufacturer of the machine to be provided
(5)	Machine number to be provided
(6)	Date of purchase as mentioned on the invoice or any other document in lieu thereof, issued by supplier, have to be provided.
(7)	Address of the place where machine has been installed has to be selected from the drop down provided for the same based on the details of places of business provided by the manufacturer in FORM GST REG-01.
(8)	Number of tracks associated with the machine to be provided.
(9)	Weight of package which can be packed by the machine (in grams) is to be declared here. The registered person can enter multiple entries of the same for each machine.
(10)	Packing capacity of each track has to be provided in terms of number of packages which can be packed by the machine on the said track per hour for the particular weight of package declared in column 9.
(11)	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package which can be packed would be computed by System based on information provided in column 8, 9 & 10.
(12)	Electricity consumption capacity of the machine to be provided in KWH
(13)	Unique registration No. of the machine would be generated by System after filing the form. Structure of the unique No. will be GSTIN followed by three digits.
(14)	Whether the machine is working or is at standby. Accordingly, Y or N to be selected from the drop down menu.

**3. Table 6A:** Amendment to the details of the machine already provided in Table 6 or amended thereafter to be provided. After entering registration number of the machine assigned by the System in column 12 of Table 6 , other details of the machine would be auto-populated. The same can be edited wherever required. Certificate of chartered engineer shall also be uploaded for the machines whose details have been amended if the particulars given in the certificate uploaded earlier undergoes any change and the details of the documents uploaded should be given in Table 10. Any such change in any of the details of the machine including its working status which needs to be amended, has to be communicated within twenty four hours of the said change carried out by the registered person.

**4. Table 7:** Details of the intimation of the machines furnished to other department have to be provided. Documents should be uploaded in pdf format after making entries and the details of the documents uploaded should be given in Table 10.

**5. Table 8:** Details of the machines disposed of (supplied /condemned) shall be provided. After entering registration number assigned to the machine by the System, other details would be auto-populated. Date of disposal and reason for the same to be provided.

**6. Table 9:** Details of the brands, packing type, HSN and description of the products manufactured to be provided in this table. If there is any change in the information already furnished in this table, the details need to be amended accordingly.

**7. Table 10:** List of Documents uploaded:

- Single Certificate of chartered engineer to be uploaded in pdf format for all machines in the format as per FORM GST SRM-III after entering the particulars of the machines.
- Certificate of chartered engineer, in the format as per FORM GST SRM-III, shall also be uploaded for the machines whose details have been amended if the particulars given in the certificate uploaded earlier undergoes any change.
- Document in pdf format providing details of the intimation of the machines furnished to other department have to be uploaded.

### FORM GST SRM-II

**Monthly Statement of inputs used and the final goods produced by the manufacturer of goods specified in the Schedule**

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Financial year	
5. Tax period	
6. ARN	
7. Date of filing	

### 8. Details of inputs

Serial number	HSN	Description	Unit (UQC)	Opening balance	Quantity procured	Value of the quantity procured (Rs.).	Quantity consumed	Closing balance	Waste generated
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

### 9. Details of production

Brand name	Machine registration number	Packing type	Quantity in grams in each package	HSN	Description of the product	Number of packages packed	MRP per package packed. (Rs.)	Total value (in MRP) of the packages packed by machine. (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (7x8)
<b>Total</b>								

### 10. Power consumption

Sr. No.	Meter / DG set No.	Initial meter reading on first day of the month	Final meter reading on the last day of the month	Consumption (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(A) Electricity meter reading</b>				

<b>(B) DG set meter reading</b>			
<b>(C) Solar power having battery</b>			
<b>(D) Others</b>			

### 11. Details of grid integrated solar power

Sr. No.	Initial meter reading on first day of the month	Final meter reading on the last day of the month	Generation/Export / Import/ Consumption (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>(A) Solar meter reading (Generation)</b>			
<b>(B) Power meter reading (Import of electricity)</b>			
<b>(C) Power meter reading (Export of electricity)</b>			
<b>(D) Net consumption [A+B-C]</b>			

### 12. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory,

Name

Designation / Status .

Place :

Date :

### Instructions to Form GST SRM-1

#### 1. Terms used:

- (i) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
- (ii) HSN: Harmonized System of Nomenclature
- (iii) MRP: Maximum Retail Price
- (iv) KWH: Kilo Watt Hour
- (v) DG set: Diesel Generator set used for power generation
- (vi) Packing type: Pouch, Zipper etc.

**2. Table 8:** Details of inputs used for manufacturing the goods specified in Schedule appended with the notification, have to be provided. Column wise details of the information to be provided are given in the table below:

Column no.	Description
(1)	
(2)	HSN at minimum 4 digit level of the inputs used for manufacturing to be reported
(3)	Description of the goods as per HSN to be provided
(4)	Unit of measurement of the goods to be selected from the drop down
(5)	Quantity available in the beginning of the month to be reported for the first time. From next month onwards, the information will be auto-populated from the closing balance of the previous month.
(6)	Quantity procured during the month have to be reported
(7)	Value of the quantity procured have to be provided
(8)	Quantity consumed have to be reported
(9)	Closing balance should be the sum of quantity reported in col. 5 & 6 reduced by quantity reported in col. 8 (5+6-8).
(10)	Waste generated, if any to be reported

**3. Table 9:** Details of the products manufactured to be reported brand wise, machine wise and package wise. Column wise details of the information to be provided is given in the table below:

Column no.	Description
1.	Brand reported in table 9 of Form GST SRM-I to be selected from drop down for reporting production during the tax period.
2.	Registration number of the machine assigned by System to be reported.
3.	Packing type viz. pouch, zipper etc. manufactured during the tax period to be reported
4.	Description of the packing (Quantity in grams in each pack) to be reported
5.	HSN, at 8 digit level, of the goods manufactured during the tax period to be reported
6.	Description of the product manufactured during the tax period to be reported
7.	Number of packages packed during the tax period to be reported
8.	Maximum Retail Price (MRP) in Rs. per package packed to be reported
9.	Total value in MRP of the packages packed during the tax period will be computed by System based on the information provided in col. 6&7.

**4. Table 10:** Power consumption during the month to be reported. Initial reading of the electricity meter in the beginning of the month to be reported for the first month. From the next month onwards, the final reading reported at the end of previous month will become initial reading of the month. Reading of DG set used, if any should also be reported separately. For reporting the reading of more than one electricity meter or DG set, separate rows to be used. Also, electricity meter reading is to be given of the main meter of the manufacturing unit in case separate meter for machines is not available. Solar power mentioned at PART C pertains to only that generated through batteries not integrated with the grid.

**5. Table 11.** Here, details of the power consumed from solar power integrated with the grid is to be reported.

**FORM GST SRM-III**  
**Certificate of Chartered Engineer**

1. GSTIN -
2. Details of the machines for which certificate has been issued –

Sr. No.	Make, if available	Model No., if available	Name of manufacturer	Machine no.	Registration No. assigned by System (in cases where the amendment in specification of the machines in Table 6A to be done).	Date of purchase, if available.	No. of tracks	Weight of packages which can be packed on the machine (in grams).	Packing capacity of each track (No. of packages packed for a particular weight of package)	Total packing capacity of the machine for a specific weight of package to be packed	Electricity consumption capacity of the machine per hour (KWH)	Remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) (8x10)	(12)	(13)

This is to certify that I have examined....(No.) machines and the above details are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Name

Registration number

Address

Date:

Place:

Mobile No.

By order,  
Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E) .

### राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना संख्या: 01/2024-राज्य कर (दर)

शिमला-2, 29 जनवरी, 2024

सं० ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-1/2024.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार, की अधिसूचना संख्या 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे ई-राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में संख्या ई.एक्स.एन.-एफ.(10)-14/2017-लूज, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में – 2.5%,-

- (i) क्रम संख्या 165 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (ii) क्रम संख्या 165क के सामने, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना दिनांक 4 जनवरी, 2024 से लागू समझी जाएगी

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित / -  
(भरत खेड़ा),  
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-1/2024 dated 29-01-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

### STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

Notification No. 01/2024-State Tax (Rate)

*Shimla-2, the 29th January, 2024*

**No. EXN-F(10)-1/2024.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the GST Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely: —

In the said notification,

- (A) in Schedule I – 2.5%,-
  - (i) against S. No. 165, in column (2), for the entry, the entry 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 shall be substituted;
  - (ii) against S. No. 165A, in column (3), for the entry, the entry 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 shall be substituted;

2. This notification shall deemed to come into force with effect from the 4th day of January, 2024.

By order,  
Sd/-  
(BHARAT KHERA),  
Pr. Secretary (ST&E) .

**ब अदालत श्री रूप सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

अभिशोक सुपुत्र महिन्द्र सिंह, निवासी निमालरी, डा0 गगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अभिशोक सुपुत्र महिन्द्र सिंह, निवासी निमालरी, डा0 गगोटी, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 21-08-2002 को महाल बैजनाथ में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-08-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 15-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 10/C/2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव डोली कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव डोली कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पिता का नाम प्रधान रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड आदि में प्रकाश चंद दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में उसके पिता का नाम मरचू दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।



अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 28-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 09/C/2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव डोली कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री विपन कुमार पुत्र श्री प्रकाश चंद, निवासी गांव डोली कलां, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र आदि में विपन कुमार दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में उसका नाम निम्पल दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक राजस्व अभिलेख महाल डोली कलां में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-06-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 11/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण।

श्री रोहित चंद पुत्र तिलक चंद, निवासी महाल सिम्बल, डाकघर सिम्बल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री रोहित चंद पुत्र तिलक चंद, निवासी महाल सिम्बल, डाकघर सिम्बल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरी दादी राज कुमारी पत्नी शीतल चंद, निवासी सिम्बल का देहांत दिनांक 15-12-1995 को महाल चोरडू, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत सिम्बल में मृत्यु का पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-07-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 27-06-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रुप लाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पांगणा, उप-तहसील पांगणा,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)

पार्वती देवी पुत्री श्री विजय राम, गांव केलोधर, डाकघर पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पांगणा में जन्म पंजीकरण करने बारे।

यह प्रार्थना-पत्र श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री विजय राम, गांव केलोधर, डाकघर पांगणा, उप-तहसील पांगणा, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा इस न्यायालय में जन्म पंजीकरण करने बारे पेश किया गया है। प्रार्थिया ने प्रार्थना-पत्र पर लिखा है कि जन्म तिथि 27-04-1991 है। उसके माता-पिता द्वारा उसका जन्म पंजीकरण किसी कारणवश ग्राम पंचायत पांगणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हो पाया है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगणा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत पांगणा को दिए जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह मिति 01-08-2024 तक प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे अन्यथा

प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत पांगणा में पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरांत कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
पांगणा, उप-तहसील पांगणा,  
जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 131/2023

तारीख मरजुआ : 28-11-2023

तारीख पेशी : 26-07-2024

श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्री रूप राम पुत्र श्री देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
2. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
3. श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री यशपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
4. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री यशपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
5. श्रीमती सपना पुत्री यशपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
6. श्रीमती उमा पत्नी यशपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
7. श्री धर्म पाल पुत्र बस्ती राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
8. श्री राज कुमार पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
9. श्री चरण दास पुत्र श्री बस्ती राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
10. श्री जय सिंह पुत्र श्री गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
11. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
12. श्री संतोष कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
13. श्रीमती अंजना पुत्री रोशन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
14. श्रीमती लीलावती पत्नी रोशन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
15. श्रीमती कृष्णा पुत्री सही राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
16. श्रीमती निर्मला पुत्री सही राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
17. श्रीमती मीना पुत्री सही राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
18. श्रीमती राधा पुत्री सही राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
19. श्री ओम प्रकाश पुत्र कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
20. श्री बाल कृष्ण पुत्र कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
21. श्री अमर चन्द पुत्र श्री कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
22. श्री श्याम लाल पुत्र श्री कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),
23. श्रीमती बिमला पुत्री कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0),

ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 24. श्रीमती रीता पुत्री कौशल्या देवी, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 25. श्री अक्षय पुत्र मोहन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 26. कुमारी मोनिका पुत्री मोहन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 27. कुमारी पूजा पुत्री मोहन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 28. श्रीमती मीना पत्नी मोहन लाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 29. श्रीमती अलीशा पुत्री कमला, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 30. श्री रतन सिंह पुत्र नारायणू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 31. श्री रामेश्वर पुत्र नारायणू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 32. श्री मोहन लाल पुत्र देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 33. श्री सोहन लाल पुत्र देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 34. श्री राम प्रकाश पुत्र देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 35. श्रीमती मीना देवी पुत्री देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 36. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी देवी राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), श्री संजय पुत्र ईन्द्रपाल, 37. श्री संजय पुत्र ईन्द्रपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 38. श्री अंकुश कुमार पुत्र ईन्द्रपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 39. श्री अनूप कुमार पुत्र श्री ईन्द्रपाल, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 40. श्री दलीप कुमार पुत्र गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 41. श्री राकेश पुत्र गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 42. श्री राजेश पुत्र गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 43. श्री दिनेश पुत्र गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 44. श्री अजय पुत्र गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 45. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 46. श्रीमती नीना देवी पुत्री गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 47. श्रीमती ईन्दु देवी पुत्री गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 48. श्रीमती नारायणू देवी पत्नी गीता राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 49. श्री रमेश चन्द पुत्र मस्तीया उपनाम नारायणू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 50. श्री हरपाल सिंह पुत्र मस्तीया उपनाम नारायणू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 51. श्री सुरेश कुमार पुत्र मस्तीया उपनाम नारायणू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 52. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री बतू, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 53. श्री राकेश पुत्र रती राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 54. कुमारी नीलम पुत्री रती राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 55. श्री राजेश कुमार पुत्र बसंत कुमार, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 56. श्रीमती कमलेश पुत्री बसंत राम, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 57. श्रीमती सीमा पुत्री बंसत कुमार, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 16/40, कित्ता 77, मोहाल/मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र श्री रामेश्वर सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 16/40, कित्ता 77, मोहाल/मौजा खायरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 19 ता 31, 34 ता 37, 39, 41, 42, 44 ता 48, 50 ता 52, 54 की तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः इस इशतहार द्वारा प्रतिवादी नं0 19 ता 31, 34 ता 37, 39, 41, 42, 44 ता 48, 50 ता 52, 54 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित

तौर पर दिनांक 26-07-2024 को अपराह्न 2.00 बजे तक कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण,  
जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 94 / 2022

तारीख मरजुआ : 17-10-2022

तारीख पेशी : 30-07-2024

श्रीमती रजनी सूद पत्नी नरेश कुमार, निवासी मोहाल कोटला, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

1. श्री संजीव पुत्र राजेन्द्र, निवासी गांव/मोहाल सरधीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री शुभम पुत्र श्री राजेन्द्र, निवासी गांव/मोहाल सरधीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)। प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना-पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता/खतौनी नं0 122/234, खसरा नं0 333, रकबा तादादी 0-01-66 है0, मोहाल/मौजा सरधीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रार्थना-पत्र श्रीमती रजनी सूद पत्नी नरेश कुमार, निवासी मोहाल कोटला, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 122/234, खसरा नं0 333, रकबा तादादी 0-01-66 है0, मोहाल/मौजा सरधीण, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला बारे प्रस्तुत किया था। जिसमें मिति 19-04-2024 को आदेश संनद तकसीम जारी कर ईन्तकाल दर्ज करने बारे आदेश जारी किए जा चुके हैं परन्तु प्रतिवादीगण ईन्तकाल के समय उपस्थित नहीं हो रही हैं। अतः अदालत हजा को यह विश्वास हो चुका है की प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से संभव न है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम के बाद दर्ज ईन्तकाल बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 30-07-2024 को तहसील कार्यालय में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 08-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 08/2024

तारीख मरजूआ : 18-04-2024

श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री गलाबू, निवासी ग्राम मियोग जोन, डा0 चुरवाधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री गलाबू, निवासी ग्राम मियोग जोन, डा0 चुरवाधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व इस अधिनियम के अधीन बनाये गये हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठिया जाजर के पंजीकरण पंजी में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण व इलाका से गैर हाजिर रहने से निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत की पंजी में दर्ज नहीं करा सकी। उसके अनुसार उनका जन्म दिनांक 05-05-1973 को हुआ है। सायला ने ग्राम पंचायत कोठीया जाजर के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री गलाबू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठीया जाजर में दर्ज करने बारे एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा व सचिव, ग्राम पंचायत कोठीया जाजर को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-05-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं ना0 तहसीलदार,  
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**Before Saleem Azam, H.P.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Nahan,  
Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Yashpal s/o Sh. Yad Ram s/o Sh. Shri Ram, r/o Village Nalka, P.O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Meenakshi Devi d/o Sh. Shiva Nand s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Kando, P.O. Poka, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 28-05-2024 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Yashpal s/o Sh. Yad Ram s/o Sh. Shri Ram , r/o Village Nalka, P.O. Mattar, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Meenakshi Devi d/o Sh. Shiva Nand s/o Sh. Rati Ram, r/o Village Kando, P.O. Poka, Tehsil Kamrau, District Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 1st day of July, 2024.

Seal.

Sd/  
(SALEEM AZAM, H.P.A.S.),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Nahan, Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh.*

**Before Saleem Azam, H.P.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Nahan,  
Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER HINDU MARRIAGE ACT, 1955

Whereas, Shri Pankaj s/o Shri Jai Pal s/o Sh. Dalip Singh , r/o V.P.O. Kufar Kayra, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Samriti Sharma d/o Smt. Reena wd/o Late Sh. Devki Nandan, r/o Village Nehar Sawar, P.O. Challana, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage under Hindu Marriage Act, 1955.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Pankaj s/o Shri Jai Pal s/o Sh. Dalip Singh , r/o V.P.O. Kufar Kayra, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) & Smt. Samriti Sharma d/o Smt. Reena wd/o Late Sh. Devki Nandan, r/o Village Nehar Sawar, P.O. Challana, Tehsil Dadahu, District Sirmaur (H.P.) they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 05th day of June, 2024.

Seal.

Sd/  
(SALEEM AZAM, H.P.A.S.),  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,*  
*Nahan, Sub-Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh.*

